

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1837 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. दाढ़ी जिला बेमेतरा का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति दाढ़ी जिला बेमेतरा को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति दाढ़ी जिला बेमेतरा को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
	कुल	24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. दाढ़ी जिला बेमेतरा में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति दाढ़ी जिला बेमेतरा को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	11
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	8
5	व्यायाम शिक्षक	1
6	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
7	ग्रंथपाल	1
8	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
9	सहा. ग्रेड-3	2
10	भृत्य	5
11	चौकीदार	1
12	अंशकालीन सफाई कर्मी	2
योग		37

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1888

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1889 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. कुसमी जिला बेमेतरा का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति कुसमी जिला बेमेतरा को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति कुसमी जिला बेमेतरा को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. कुसमी जिला बेमेतरा में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति कुसमी जिला बेमेतरा को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	13
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	6
5	व्यायाम शिक्षक	1
6	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
7	ग्रंथपाल	1
8	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
9	सहा. ग्रेड-3	2
10	भृत्य	5
11	चौकीदार	1
12	अंशकालीन सफाई कर्मी	2
योग		37

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।



9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा अधिसूचना अनुसार

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पू.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/ 1890

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1891 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. हसदा जिला बेमेतरा का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति हसदा जिला बेमेतरा को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति हसदा जिला बेमेतरा को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. हसदा जिला बेमेतरा में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति हसदा जिला बेमेतरा को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	14
3	व्यायाम शिक्षक	1
4	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
5	ग्रंथपाल	1
6	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
7	सहा. ग्रेड-3	2
8	भृत्य	4
9	चौकीदार	1
10	अंशकालीन सफाई कर्मी	1
योग		29

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1892

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1893 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. कुठिया-रांका जिला बेमेतरा का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति कुठिया-रांका जिला बेमेतरा को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति कुठिया-रांका जिला बेमेतरा को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
	कुल	24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. कुठिया-रांका जिला बेमेतरा में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति कुठिया-रांका जिला बेमेतरा को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	11
3	व्यायाम शिक्षक	1
4	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
5	ग्रंथपाल	1
6	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
7	सहा. ग्रेड-3	2
8	भृत्य	4
9	चौकीदार	1
10	अंशकालीन सफाई कर्मी	1
योग		26

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।


7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1894

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

कमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1895 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. टेलका जिला बेमेतरा का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति टेलका जिला बेमेतरा को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति टेलका जिला बेमेतरा को तालिका कमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका कमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका कमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. ठेलका जिला बेमेतरा में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति ठेलका जिला बेमेतरा को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	11
3	व्यायाम शिक्षक	1
4	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
5	ग्रंथपाल	1
6	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
7	सहा. ग्रेड-3	2
8	भृत्य	4
9	चौकीदार	1
10	अंशकालीन सफाई कर्मी	1
योग		26

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।


7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1896

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

कमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1897 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. परपोडी जिला बेमेतरा का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति परपोडी जिला बेमेतरा को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति परपोडी जिला बेमेतरा को तालिका कमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका कमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका कमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. परपोडी जिला बेमेतरा में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति परपोडी जिला बेमेतरा को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	उपप्राचार्य	1
3	ब्याख्याता	11
4	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
5	शिक्षक	6
6	ब्यायाम शिक्षक	1
7	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
8	ग्रंथपाल	1
9	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
10	सहा. ग्रेड-3	2
11	भृत्य	5
12	चौकीदार	1
13	अंशकालीन सफाई कर्मी	2
योग		36

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।



9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1898

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागयुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

कमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1899 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. राजामोहगांव जिला बेमेतरा का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति राजामोहगांव जिला बेमेतरा को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति राजामोहगांव जिला बेमेतरा को तालिका कमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका कमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका कमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. राजामोहगांव जिला बेमेतरा में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति राजामोहगांव जिला बेमेतरा को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	उपप्राचार्य	1
3	ब्याख्याता	12
4	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
5	शिक्षक	7
6	ब्यायाम शिक्षक	1
7	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
8	ग्रंथपाल	1
9	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
10	सहा. ग्रेड-3	2
11	भृत्य	5
12	चौकीदार	1
13	अंशकालीन सफाई कर्मी	2
योग		38

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।


8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।



9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1900

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

कमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1901 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. नांदघाट जिला बेमेतरा का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति नांदघाट जिला बेमेतरा को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति नांदघाट जिला बेमेतरा को तालिका कमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका कमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका कमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. नांदघाट जिला बेमेतरा में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति नांदघाट जिला बेमेतरा को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	ब्याख्याता	16
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	7
5	ब्यायाम शिक्षक	1
6	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
7	ग्रंथपाल	1
8	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
9	सहा. ग्रेड-3	2
10	भृत्य	5
11	चौकीदार	1
12	अंशकालीन सफाई कर्मी	2
योग		41

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।



9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1902

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1883 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. पिपरियां जिला कबीरधाम का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति पिपरियां जिला कबीरधाम को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति पिपरियां जिला कबीरधाम को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. पिपरियां जिला कबीरधाम में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति पिपरियां जिला कबीरधाम को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	11
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	4
5	व्यायाम शिक्षक	1
6	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
7	ग्रंथपाल	1
8	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
9	सहा. ग्रेड-3	2
10	भृत्य	5
11	चौकीदार	1
12	अंशकालीन सफाई कर्मी	2
योग		33

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।



9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1884

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

कमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1885 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. चिल्फी जिला कबीरधाम का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति चिल्फी जिला कबीरधाम को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति चिल्फी जिला कबीरधाम को तालिका कमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका कमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
	कुल	24		

2/ तालिका कमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. चिल्फी जिला कबीरधाम में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति चिल्फी जिला कबीरधाम को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	11
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	4
5	व्यायाम शिक्षक	1
6	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
7	ग्रंथपाल	1
8	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
9	सहा. ग्रेड-3	2
10	भृत्य	5
11	चौकीदार	1
12	अंशकालीन सफाई कर्मी	2
योग		33

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।



9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1886

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1881 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा. कन्या उ.मा.वि. हसौद जिला सक्ती का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति हसौद जिला सक्ती को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति हसौद जिला सक्ती को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा. कन्या उ.मा.वि. हसौद जिला सक्ती में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति हसौद जिला सक्ती को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	11
3	व्यायाम शिक्षक	1
4	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
5	ग्रंथपाल	1
6	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
7	सहा. ग्रेड-3	2
8	भृत्य	4
9	चौकीदार	1
10	अंशकालीन सफाई कर्मी	1
योग		26

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पुलक भट्टोचारी)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1882

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

कमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1879 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. बांकीमोंगरा जिला कोरबा का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बांकीमोंगरा जिला कोरबा को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बांकीमोंगरा जिला कोरबा को तालिका कमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका कमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका कमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. बांकीमोंगरा जिला कोरबा में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बांकीमोंगरा जिला कोरबा को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	13
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	4
5	व्यायाम शिक्षक	1
6	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	1
7	सहा. शिक्षक	2
8	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
9	ग्रंथपाल	1
10	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
11	सहा. ग्रेड-3	2
12	भृत्य	4
13	चौकीदार	1
14	अंशकालीन सफाई कर्मी	1
योग		36

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1880

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

कमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1877 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. सकरी जिला बिलासपुर का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति सकरी जिला बिलासपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति सकरी जिला बिलासपुर को तालिका कमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका कमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
	कुल	24		

2/ तालिका कमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. सकरी जिला बिलासपुर में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति सकरी जिला बिलासपुर को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	उपप्राचार्य	1
3	व्याख्याता	26
4	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
5	शिक्षक	6
6	व्यायाम शिक्षक	1
7	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
8	ग्रंथपाल	1
9	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
10	सहा. ग्रेड-3	2
11	भृत्य	5
12	चौकीदार	1
13	अंशकालीन सफाई कर्मी	2
योग		51

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।



9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1878

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1871 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. सोनाखान जिला बलौदाबाजार का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति सोनाखान जिला बलौदाबाजार को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति सोनाखान जिला बलौदाबाजार को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

P

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. सोनाखान जिला बलौदाबाजार में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति सोनाखान जिला बलौदाबाजार को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	11
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	5
5	व्यायाम शिक्षक	1
6	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	1
7	सहा. शिक्षक	3
8	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
9	ग्रंथपाल	1
10	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
11	सहा. ग्रेड-3	2
12	भृत्य	4
13	चौकीदार	1
14	अंशकालीन सफाई कर्मी	2
योग		37

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।


8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

1

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1872

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1873 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. ओडान जिला बलौदाबाजार का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति ओडान जिला बलौदाबाजार को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति ओडान जिला बलौदाबाजार को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

D

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. ओडान जिला बलौदाबाजार में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति ओडान जिला बलौदाबाजार को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	13
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	6
5	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	1
6	सहा. शिक्षक	9
7	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
8	ग्रंथपाल	1
9	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
10	सहा. ग्रेड-3	2
11	भृत्य	4
12	चौकीदार	1
13	अंशकालीन सफाई कर्मी	2
योग		45

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।



9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1874

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1875 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. लाहोद जिला बलौदाबाजार का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति लाहोद जिला बलौदाबाजार को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति लाहोद जिला बलौदाबाजार को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा.उ.मा.वि. लाहोद जिला बलौदाबाजार में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति लाहोद जिला बलौदाबाजार को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	ब्याख्याता	13
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	6
5	व्यायाम शिक्षक	1
6	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	1
7	सहा. शिक्षक	9
8	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
9	ग्रंथपाल	1
10	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
11	सहा. ग्रेड-3	2
12	भृत्य	4
13	चौकीदार	1
14	अंशकालीन सफाई कर्मी	2
योग		46

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

D
/

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1876

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1927 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ.मा.वि. बांसकोट जिला कोण्डागांव का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बांसकोट जिला कोण्डागांव को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बांसकोट जिला कोण्डागांव को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
	कुल	24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ.मा.वि. बांसकोट जिला कोण्डागांव में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बांसकोट जिला कोण्डागांव को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	11
3	व्यायाम शिक्षक	1
4	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
5	ग्रंथपाल	1
6	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
7	सहा. ग्रेड-3	2
8	भृत्य	4
योग		24

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।


6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1928
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1917 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास.उ.मा.वि. रायखेड़ा जिला रायपुर का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति रायखेड़ा जिला रायपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति रायखेड़ा जिला रायपुर को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शास.उ.मा.वि. रायखेड़ा जिला रायपुर में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति रायखेड़ा जिला रायपुर को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	ब्याख्याता	11
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	6
5	ब्यायाम शिक्षक	1
6	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	1
7	सहा. शिक्षक	6
8	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	2
9	ग्रंथपाल	1
10	सहा. ग्रेड-3	1
11	भृत्य	3
12	अंशकालीन सफाई कर्मी	2
योग		36

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।



9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1918

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

कमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1919 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास.उ.मा.वि. गनियारी जिला रायपुर का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति गनियारी जिला रायपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति गनियारी जिला रायपुर को तालिका कमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका कमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका कमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शास.उ.मा.वि. गनियारी जिला रायपुर में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति गनियारी जिला रायपुर को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	11
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	6
5	व्यायाम शिक्षक	1
6	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	1
7	सहा. शिक्षक	5
8	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
9	ग्रंथपाल	1
10	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
11	सहा. ग्रेड-3	2
12	भृत्य	6
13	अंशकालीन सफाई कर्मी	2
योग		41

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1920

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1921 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ.मा.वि. खोरपा जिला रायपुर का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति खोरपा जिला रायपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति खोरपा जिला रायपुर को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ.मा.वि. खोरपा जिला रायपुर में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति खोरपा जिला रायपुर को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	20
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	6
5	व्यायाम शिक्षक	1
6	सहा. शिक्षक	3
7	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
8	ग्रंथपाल	1
9	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
10	सहा. ग्रेड-3	2
11	भृत्य	5
12	चौकीदार	1
13	अंशकालीन सफाई कर्मी	2
योग		47

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।


8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।



9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1922

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागयुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1923 :: राज्य शासन एतद् द्वारा अनंतराम बर्छिहा शास.उ.मा.वि. चंदखुरी जिला रायपुर का संचालन अनंतराम बर्छिहा उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति चंदखुरी जिला रायपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा अनंतराम बर्छिहा उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति चंदखुरी जिला रायपुर को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
	कुल	24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा अनंतराम बर्छिहा शास.उ.मा.वि. चंदखुरी जिला रायपुर में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को अनंतराम बर्छिहा उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति चंदखुरी जिला रायपुर को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	22
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	8
5	व्यायाम शिक्षक	1
6	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	1
7	सहा. शिक्षक	2
8	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
9	ग्रंथपाल	1
10	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
11	सहा. ग्रेड-3	2
12	भृत्य	4
13	अंशकालीन सफाई कर्मी	5
योग		52

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।



8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1924

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

कमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1925 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ.मा.वि. बरबंदा जिला रायपुर का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बरबंदा जिला रायपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बरबंदा जिला रायपुर को तालिका कमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका कमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
	कुल	24		

2/ तालिका कमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ.मा.वि. बरबंदा जिला रायपुर में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बरबंदा जिला रायपुर को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	6
3	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
4	सहा. ग्रेड-3	1
5	भृत्य	1
6	अंशकालीन सफाई कर्मी	1
योग		11

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पुलक भट्टाचार्य)

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1926

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //


अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

कमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1915 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास. प्राथमिक शाला मोतिमपुर (अमरटापू) जिला मुंगेली का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति मोतिमपुर (अमरटापू) जिला मुंगेली को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति मोतिमपुर (अमरटापू) जिला मुंगेली को तालिका कमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका कमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम)	1	-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
16	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
	कुल	25		

2/ तालिका कमांक-1 के प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित है अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे।



अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शास. प्राथमिक शाला मोतिमपुर (अमरटापू) जिला मुंगेली में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति मोतिमपुर (अमरटापू) जिला मुंगेली को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	1
2	सहा. शिक्षक	4
योग		5

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मियों के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मियों हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।


6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1916

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।

3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1403 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शा. उ. मा. वि. कोमाखान जिला महासमुंद का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति कोमाखान जिला महासमुंद को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति कोमाखान जिला महासमुंद को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शा. उ. मा. वि. कोमाखान जिला महासमुंद में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति कोमाखान जिला महासमुंद को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	उपप्राचार्य	1
3	व्याख्याता	14
4	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
5	शिक्षक	6
6	व्यायाम शिक्षक	1
7	कम्प्यूटर शिक्षक	1
8	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	1
9	सहा. शिक्षक	5
10	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	4
11	ग्रंथपाल	1
12	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
13	सहा. ग्रेड-3	2
14	भृत्य	4
15	चौकीदार	1
16	अंशकालीन सफाई कर्मी	3
योग		47

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।



8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1904

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1965 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ. मा. वि. पिरदा जिला महासमुंद का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति पिरदा जिला महासमुंद को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति पिरदा जिला महासमुंद को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ. मा. वि. पिरदा जिला महासमुंद में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति पिरदा जिला महासमुंद को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	11
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	5
5	व्यायाम शिक्षक	1
6	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
7	ग्रंथपाल	1
8	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
9	सहा. ग्रेड-3	2
10	भृत्य	4
11	चौकीदार	1
12	अंशकालीन सफाई कर्मी	1
योग		32

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।


8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।



9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पू.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1906

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

कमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1907 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ. मा. वि. सांकरा जिला महासमुंद का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति सांकरा जिला महासमुंद को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति सांकरा जिला महासमुंद को तालिका कमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका कमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका कमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ. मा. वि. सांकरा जिला महासमुंद में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति सांकरा जिला महासमुंद को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	ब्याख्याता	18
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	5
5	व्यायाम शिक्षक	1
6	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	1
7	सहा. शिक्षक	3
8	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
9	ग्रंथपाल	1
10	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
11	सहा. ग्रेड-3	2
12	भृत्य	5
13	चौकीदार	1
14	अंशकालीन सफाई कर्मी	3
योग		46

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।



9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1908

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1909 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ. मा. वि. भुकेल जिला महासमुंद का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति भुकेल जिला महासमुंद को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति भुकेल जिला महासमुंद को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ. मा. वि. भुकेल जिला महासमुंद में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति भुकेल जिला महासमुंद को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	18
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	6
5	व्यायाम शिक्षक	1
6	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	1
7	सहा. शिक्षक	2
8	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
9	ग्रंथपाल	1
10	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
11	सहा. ग्रेड-3	2
12	भृत्य	4
13	चौकीदार	1
14	अंशकालीन सफाई कर्मी	3
योग		45

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।



9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1910

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1911 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ. मा. वि. भंवरपुर जिला महासमुंद का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति भंवरपुर जिला महासमुंद को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति भंवरपुर जिला महासमुंद को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ. मा. वि. भंवरपुर जिला महासमुंद में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति भंवरपुर जिला महासमुंद को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	उपप्राचार्य	1
3	व्याख्याता	24
4	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
5	शिक्षक	6
6	व्यायाम शिक्षक	1
7	कम्प्यूटर शिक्षक	1
8	प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	1
9	सहा. शिक्षक	4
10	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
11	ग्रंथपाल	1
12	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
13	सहा. ग्रेड-3	2
14	भृत्य	4
15	चौकीदार	1
16	अंशकालीन सफाई कर्मी	1
योग		53

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।



8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1912

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2023

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1913 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ. मा. वि. तुमगांव जिला महासमुंद का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति तुमगांव जिला महासमुंद को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति तुमगांव जिला महासमुंद को तालिका क्रमांक-1 में दिये गये पदों का सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

तालिका क्रमांक-1

स. क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2	व्याख्याता संस्कृत	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	2	25300/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	1	22400/-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
कुल		24		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



3/ राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ. मा. वि. तुमगांव जिला महासमुंद में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-2 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति तुमगांव जिला महासमुंद को अंतरित करता है:-

तालिका क्रमांक-2

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	व्याख्याता	12
3	प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	1
4	शिक्षक	4
5	व्यायाम शिक्षक	1
6	सहा. शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
7	ग्रंथपाल	1
8	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
9	सहा. ग्रेड-3	2
10	भृत्य	5
11	चौकीदार	1
12	अंशकालीन सफाई कर्मी	2
योग		34

4/ तालिका क्रमांक-2 के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।


8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।



9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-20-00314, दिनांक 15.05.2023 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/1914

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग